संदर्भ: आईआरडीएआई/एफ&आई/सीआईआर/आरआईसी/90/4/2023
Ref: IRDAI/F&I/CIR/RIC/90/4/2023 दिनांक / Date: 24.04.2023

भारतीय बीमा कंपनी के पंजीकरण संबंधी मास्टर परिपत्र, 2023
Master Circular on Registration of Indian Insurance Company, 2023

प्राधिकरण ने आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2022 (इस परिपत्र में इसके बाद "विनियम" के रूप में उल्लिखित) अधिसूचित किये हैं। आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण इसके द्वारा उपर्युक्त विनियमों में उल्लिखित रूप में विभिन्न फार्म विनिर्दिष्ट करने तथा उपर्युक्त विनियमों के उपबंधों के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए यह मास्टर परिपत्र जारी करता है।
The Authority has notified the IRDAI (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2022 (herein after referred to as "Regulations"). In exercise of the powers conferred by Section 14 of the IRDA Act, 1999, the Authority hereby issues this Master Circular to specify various forms as referred in the said Regulations and to provide clarifications on various provisions of the said Regulations.

उक्त मास्टर परिपत्र के निर्गम की तारीख से निम्नलिखित दिशानिर्देश और परिपत्र निरस्त किये गये हैं:
The following Guidelines and Circulars shall stand repealed from the date of issuance of the Master Circular:

1. आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों में निजी ईक्विटी निधियों के द्वारा निवेश) दिशानिर्देश, 2017.
IRDAI (Investment by Private Equity Funds in Indian Insurance Companies) Guidelines, 2017.

2. आईआरडीएआई (सूचीबद्ध भारतीय बीमा कंपनियाँ) दिशानिर्देश, 2016.
IRDAI (Listed Indian Insurance Companies) Guidelines, 2016.

3. बीमा कंपनियों के शेयरों के अंतरण संबंधी परिपत्र सं. आईआरडीएआई/ एफ&ए/सीआईआर/ टीआरएसएच/195/07/2020 दिनांक 22.07.2020.
Circular No. IRDA/F&A/CIR/TRSH/195/07/2020 dated 22.07.2020 on Transfer of Shares of the Insurance Companies.

4. बीमा कंपनियों के ईक्विटी धारिता के स्वरूप के विवरण संबंधी परिपत्र सं. आईआरडीएआई/एफ&ए/सीआईआर/ईएचपी/162/09/2018 दिनांक 27.09.2018.
Circular No. IRDA/F&A/CIR/EHP/162/09/2018 dated 27.09.2018 on Details of Equity Holding Pattern of Insurance Companies.

यह मास्टर परिपत्र इसके निर्गम की तारीख से प्रवृत्त होगा तथा इसके निर्गम की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा, जब तक इसके पहले इसकी समीक्षा नहीं की जाती और/या इसकी अवधि नहीं बढ़ाई जाती।
This Master Circular shall come into force from the date of its issuance and shall be in effect for a period of 3 years from the date of its issuance unless reviewed and/or extended earlier.

(राकेश जोशी / Rakesh Joshi)
सदस्य (वित्त व निवेश) / Member (F&I)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.	विनियम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
I	5(1)(ii)	अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी)	2
II	5(1)(iii)	फार्म आईआरडीएआई/आर1 के निर्गम के लिए आवेदन	2
III	5(2)(i)(ii)	फार्म आईआरडीएआई/आर1	3
IV	5(2)(iv)/(v) और 5(3)(i)	फार्म आईआरडीएआई/आर2	11
V	11	फार्म आईआरडीएआई/आर4	16
VI	6(10) और अनुसूची 2 का खंड 1(क)	फार्म आईआरडीएआई/टीओएसः धारा 6क के अधीन अनुमोदन के लिए आवेदन	17
VII	अनुसूची 2 का खंड 7(क)	ईक्विटी शेयरधारिता का स्वरूप तथा योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) घोषणा	22
VIII	-	अस्थायी व्यवस्थाएँ और स्पष्टीकरण	28

I. अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) [देखें विनियम 5(1)(ii)]

विनियम 5(1)(ii) में उल्लिखित रूप में अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के निर्गम के लिए आवेदन आईआरडीएआई की वेबसाइट अर्थात् www.irdai.gov.in पर आनलाइन फाइल किया जाएगा [वर्तमान में, 'नये बीमाकर्ताओं के पंजीकरण' के लिए एनओसी हेतु आवेदन करने के लिए फार्म प्राधिकरण की वेबसाइट पर 'ई-सेवाएँ' खंड के अंतर्गत रखा गया है।]

II. फार्म आईआरडीएआई/आर1 के निर्गम के लिए आवेदन [विनियम 5(1)(iii) देखें]:

विनियम 5(1)(iii) में उल्लिखित रूप में फार्म आईआरडीएआई/आर1 के निर्गम के लिए आवेदन आवेदक के पत्र-शीर्ष (लेटर हेड) पर प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनके प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा उसके साथ निम्मलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएँगेः

1. आवेदक के संस्थापन प्रमाणपत्र की प्रति।
2. आवेदक की संस्था के बहिर्नियमों (एमओए) और अंतर्नियमों (एओए) की प्रति।
3. निम्नलिखित के लिए आवेदक के प्रवर्तक के बोर्ड द्वारा पारित संकल्पः
   - (i) बीमा व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए अनुमोदन।
   - (ii) प्रवर्तक की ओर से कार्य करने के लिए व्यक्ति को प्राधिकृत करना।
4. निम्नलिखित के लिए आवेदक के बोर्ड द्वारा पारित संकल्पः
   - (i) बीमा व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए अनुमोदन।
   - (ii) आवेदक की ओर से कार्य करने के लिए व्यक्ति को प्राधिकृत करना।

III. फार्म आईआरडीएआई/आर1 [विनियम 5(2)(i)(ii) देखें]

क्रम सं.	विवरण	उत्तर
क) आवेदक के बारे में सूचना		
1	**आधारभूत विवरण** i. नाम ii. पता (पंजीकृत कार्यालय और पत्राचार के लिए पता) iii. संपर्क का विवरण (प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, ई-मेल आईडी और फोन नंबर) iv. कानूनी स्थिति (कंपनी, सहकारी सोसाइटी अथवा सांविधिक निकाय) और सीआईएन संख्या v. पंजीकरण संख्या और पंजीयक का पता vi. संस्थापन की तारीख vii. स्थायी खाता संख्या (पैन)	
2	बीमा व्यवसाय का वर्ग जिसके लिए पंजीकरण की अपेक्षा की गई है (विनियम 3 देखें)	
3	पूँजी विन्यास i. प्राधिकृत पूँजी की राशि, शेयरों की कुल संख्या और प्रति शेयर अंकित मूल्य ii. निर्गत पूँजी की राशि और शेयरों की संख्या iii. प्रदत्त पूँजी की राशि और शेयरों की संख्या iv. ब्योरा यदि विभिन्न वर्गों के शेयर हों v. ब्योरा यदि विभिन्न मतदान अधिकार हों	
ख) आवेदक के शेयरधारक (प्रत्येक प्रवर्तक और निवेशक के लिए अलग-अलग)		
1	**आधारभूत विवरणः** i. नाम (पूर्व के नामों सहित, यदि कोई हों) ii. पता (पंजीकृत पता और पत्राचार के लिए पता) iii. संपर्क का विवरण (प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, ई-मेल आईडी और फोन नंबर): iv. कानूनी स्थिति (कंपनी, एलएलपी आदि) और सीआईएन संख्या v. संस्थापन की संख्या और तारीख (व्यक्ति के मामले में जन्मतिथि) vi. निवासीय स्थिति (अनिवासी संस्था के मामले में निवास और संस्थापन का देश विनिर्दिष्ट करें) vii. स्थायी खाता संख्या (पैन) viii. क्या भारत में या भारत के बाहर किसी वित्तीय क्षेत्र विनियमनकर्ता के पास पंजीकृत है। यदि हाँ, तो उसका विवरण दें। ix. स्वामित्व और नियंत्रण की स्थिति (डीपीआईआईटी दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत सरकार और फेमा, जैसा लागू हो)	

	x. शेयरधारक की प्रस्तावित स्थिति (अर्थात् निवेशक अथवा प्रवर्तक) xi. 'भारतीय प्रवर्तक' के मामले में, विनियम 2(ज) के अंतर्गत लागू उप-विनियम बताएँ	
2	**पूँजी का अंतःप्रवाह और प्रतिबद्धताएँ :** **क) पूँजी का अंतःप्रवाह** i. अधिगृहीत किये जाने के लिए प्रस्तावित ईक्विटी हित का % ii. आवेदक में लगाये जाने के लिए प्रस्तावित राशि iii. आवेदक में पूँजी लगाने के लिए निधियों का स्रोत iv. आवेदक की भावी पूँजी आवश्यकता पूरी करने के लिए स्रोत और क्षमता **ख) पूँजी और अन्य प्रतिबद्धताएँ** i. आवेदक के प्रति पूँजी और अन्य प्रतिबद्धताओँ का विवरण ii. वित्तीय देयताओँ और अन्य वित्तीय प्रतिबद्धताओँ का विवरण iii. शेयरधारकों के प्रति आवेदक के दायित्व और प्रतिबद्धताओं का विवरण	
3	**आस्तियाँ और निवेशः** **क) निवेशों का विवरण दें** i. भारत में अन्य बीमाकर्ता(ओं) या अन्य आवेदक(कों) में निवेश ii. भारत में किसी बीमा मध्यवर्ती(मध्यवर्तियों) में निवेश iii. भारत के बाहर बीमाकर्ताओँ या बीमा मध्यवर्तियों में निवेश iv. भारत में अन्य निवेश v. भारत के बाहर अन्य निवेश vi. धारित अन्य आस्तियाँ **ख) तरल आस्तियों और निवेशों का विवरण**	
4	**व्यावसायिक रिकार्ड और अनुभवः** i. वर्तमान व्यवसाय ii. व्यवसाय/पेशे में परिचालन के वर्षों की कुल संख्या iii. भारत में बीमा मध्यस्थता सहित, बीमा व्यवसाय में कारोबार का रिकार्ड और अनुभव iv. भारत के बाहर बीमा मध्यस्थता सहित, बीमा व्यवसाय में कारोबार का रिकार्ड और अनुभव v. भारत में या भारत के बाहर अन्य व्यवसाय (व्यवसायों) में कारोबार का रिकार्ड और अनुभव	
5	**समुचित सावधानीः** i. भारत में या भारत के बाहर किसी विनियामक / सांविधिक/ न्यायिक निकायों द्वारा शेयरधारक या उसके किसी प्रवर्तक / समूह संस्थाओं या उनके किसी भी निदेशक या प्रबंधन के प्रमुख व्यक्ति (केएमपी) के विरुद्ध दोषसिद्धि सहित विनियामक हस्तक्षेपों, प्रतिबंधात्मक निदेशों और/या	

	कार्यवाही का पिछला रिकार्ड। लंबित कार्यवाही, यदि कोई हो, का भी विवरण प्रस्तुत करें। ii. क्या शेयरधारक का न्यायनिर्णयन कभी दिवालिये के रूप में किया गया है। यदि हाँ, तो उसका विवरण प्रस्तुत करें। iii. क्या शेयरधारक या उसके निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को भेदिया व्यापार, कपटपूर्ण या अनुचित व्यापार कार्य-पद्धतियों के लिए कभी अभियोजित या दंडित किया गया है। iv. प्रस्तावित शेयरधारक या उसके निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के विरुद्ध की गई / लंबित सिविल / आपराधिक / विनियामक कार्रवाई का विवरण। v. क्या शेयरधारक या उसके निदेशकों को कभी कोई विनियमित वित्तीय व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस या प्राधिकार अस्वीकृत (अथवा प्रतिसंहृत) किया गया है। यदि हाँ, तो उसका विवरण दें। vi. शेयरधारक या उसके निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के विरुद्ध किसी सरकारी, विनियामक अथवा व्यावसायिक निकाय द्वारा की गई निंदा अथवा प्रारंभ की गई किसी भी अनुशासनिक कार्रवाई का विवरण। vii. क्या पिछले पाँच वित्तीय वर्षों के दौरान अपने शेयरधारक की रिपोर्ट में लेखा-परीक्षकों के द्वारा बहियों और खातों तथा वित्तीय विवरणों में कोई शर्त, प्रतिबंध या प्रतिकूल टिप्पणी की गई थी। viii. क्या किसी सरकारी, विनियामक या व्यावसायिक निकाय ने ऐसी किसी कंपनी, फर्म या संस्था की जाँच की है जिसके साथ शेयरधारक के निदेशक या प्रमुख व्यक्ति निदेशक, अधिकारी, प्रबंधक या शेयरधारक के रूप में संबद्ध रहे हैं। (यदि हाँ, तो उसका विवरण दें)	
ग) व्यवसाय योजना		
1	उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों सहित जिनमें परिचालन करने की कंपनी की योजना है, व्यवसाय का भौगोलिक विस्तार	
2	वितरण माध्यम और कार्यनीति	
3	विपणन कार्यनीति	
4	जोखिम-अंकन कार्यनीति	
5	पुनर्बीमा कार्यनीति	
6	**बेचे जानेवाले उत्पाद** i. कीमत-निर्धारण कार्यनीति और उत्पाद के कीमत-निर्धारण में प्रयुक्त लाभप्रदता मानदंड ii. उत्पाद की विशेषताएँ जैसे कवरेज अवधियाँ, प्रीमियम स्तर, गैर जब्ती मूल्य, ऋण प्रावधान आदि। iii. औसत पालिसी आकार	

7	**निवेश कार्यनीति**	
8	**सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)** i. अभिनियोजित की जानेवाली आईटी प्रणालियाँ तथा अभिनियोजन के क्षेत्र ii. साइबर सुरक्षा नीति iii. अंतर-संबद्धता की मात्रा iv. तत्काल (आफ़ दी शेल्फ़) खरीदी जानेवाली प्रणालियाँ स्थानीय तौर पर विकसित की गई हैं अथवा विदेशी निवेशकों के द्वारा भारत में आयात की गई हैं। v. मात्रा जहाँ तक उक्त प्रणालियों का उपयोग पालिसीधारक की सर्विसिंग के लिए किया जाएगा। vi. उन प्रक्रियाओं और परिचालनों का विवरण जो अयांत्रिक रहेंगे vii. विवरण कि अपेक्षित प्रबंध सूचना प्रणाली विकसित करने के लिए उक्त आईटी प्रणाली का कैसे उपयोग किया जाएगा।	
9	**ग्राहक सेवा** i. शिकायत निवारण के संदर्भ में लागू की जानेवाली नीतियाँ और प्रणालियाँ ii. बीमा जागरूकता को बढ़ाने के लिए कार्यनीति iii. बीमा व्यापन को बढ़ाने के लिए प्रस्तावित योगदान iv. ग्राहक सेवा के विभिन्न पहलुओं के लिए लागू किये जाने के लिए योजनाबद्ध सेवा मानक v. पेशकश किये जाने के लिए प्रस्तावित विभिन्न प्रकार की सेवाओँ के लिए समय-अनुसूची	
10	**जोखिम-प्रबंध ढाँचा** i. उद्यम जोखिम-प्रबंध ii. व्यवसाय निरंतरता योजना iii. लागू किये जानेवाले आंतरिक नियंत्रणों का स्वरूप।	
11	**पूर्वानुमानों के अंतर्निहित प्रमुख पूर्वानुमानों के साथ 5 वर्ष के लिए वित्तीय पूर्वानुमान**: पूर्वानुमान आवेदक के निदेशक बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित किये जाएँगे। उक्त पूर्वानुमानों के साथ निम्नलिखित आशय की पुष्टि के साथ भारतीय बीमांकक संस्थान से प्राप्त व्यवसाय प्रमाणपत्र से युक्त फेलो बीमांकक से लिया गया एक प्रमाणपत्र होगाः क) पूर्वानुमान युक्तिसंगत और व्यवहार्य हैं। ख) आवेदक के आर1 के प्रयोजन के लिए पूर्वानुमानों का प्रमाणीकरण ग) वित्तीय पूर्वानुमान तकनीकी तौर पर सुदृढ़ आधार पर किये गये हैं। घ) पूर्वानुमान / परिकलन लागू आईआरडीएआई विनियमों / मानदंडों के अनुरूप हैं। ङ) पूर्वानुमान प्रयोग के निर्धारण में उसका कोई हित-संघर्ष नहीं है।	

	च) शोधन-क्षमता अनुपात / आरक्षित निधियों का परिकलन समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ, और शोधन-क्षमता मार्जिन) विनियम, 2016 के अनुरूप किया गया है। छ) अन्य पूर्वानुमान / परिकलन भी लागू आईआरडीएआई विनियमों के अनुरूप हैं। पूर्वानुमानों में कम से कम निम्नलिखित शामिल होंगेः i. प्रीमियम आय (टिकट आकार) ii. जीवनों, पालिसियों, एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों की संख्या iii. खंड-वार प्रीमियम आय iv. खंड-वार दावे या लाभ, पालिसीधारक अधिशेष और बोनस घोषणा। v. खंड-वार प्रतिधारण vi. जोखिम-अंकन लाभ vii. निवेश आय viii. परिचालन व्यय (प्रमुख शीर्षों में विश्लेषित विवरण के साथ) ix. कमीशन भुगतान x. प्रबंधन के समग्र व्यय xi. प्रथम वर्ष और नवीकरण व्यय अनुपात xii. उपलब्ध शोधन-क्षमता मार्जिन, अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन और शोधन-क्षमता अनुपात xiii. पूँजीगत अपेक्षाएँ : कुल, भारतीय और विदेशी xiv. लाभ-अलाभ (ब्रेक-ईवन) अवधि और पूँजी पर प्रतिलाभ xv. मुख्य अनुपात (प्रत्येक खंड के लिए अलग-अलग) क. प्रतिधारण अनुपात ख. उपगत दावा अनुपात, संयुक्त अनुपात और हानि अनुपात (जैसा लागू हो) ग. निरंतरता अनुपात, यदि लागू हो xvi. पूँजीगत व्यय, प्रमुख शीर्षों में विश्लेषित विवरण सहित xvii. सांविधिक आरक्षित निधियाँ और प्रयुक्त रिज़र्विंग पद्धतियाँ xviii. विक्रय स्टाफ, विक्रय सहायक स्टाफ और प्रशासनिक स्टाफ का आकार xix. वर्तमान विनियमों / परिपत्रों के अंतर्गत बीमा कंपनियों के लिए लागू फार्मेटों के अनुसार निम्नलिखितः क. नकदी प्रवाह विवरण ख. राजस्व खाता ग. लाभ और हानि लेखा घ. तुलन-पत्र	

	(इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित पूर्वानुमानों के संदर्भ में आशापूर्ण और निराशात्मक परिदृश्यों पर व्यावसायिक पूर्वानुमानों पर एक संवेदनशीलता विश्लेषण भी प्रस्तुत किया जाएगाः i. शोधन-क्षमता अनुपात ii. विक्रय की मात्रा iii. विक्रय का औसत आकार iv. दावा अनुभव v. विक्रय बल का आकार vi. मृत्यु-संख्या, रुग्णता, पालिसी समाप्ति (जीवन) के स्तर vii. प्रशासनिक व्यय (मुद्रास्फीति सहित) viii. निवेश आय ix. लाभ-अलाभ (ब्रेक ईवन) अवधि	
घ) निम्नलिखित का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना		
1	ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण सहित पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण	
2	मोटर अन्य पक्ष दायित्व (यदि लागू हो)	
3	ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र दायित्व	
ङ) आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जानेवाले विवरण और दस्तावेज		
1	i. विनियम 5(2)(ii) में यथाविनिर्दिष्ट सभी विवरण/दस्तावेज ii. आवेदक में निवेश को प्राधिकृत करते हुए प्रत्येक प्रवर्तक के बोर्ड और निवेशकों के द्वारा पारित संकल्प की प्रति। iii. व्यापार बैंकर प्रमाणपत्र, जैसा लागू हो (विनियम 6 के अनुसार) iv. आवेदक, प्रवर्तक और निवेशक, जैसा लागू हो, द्वारा प्राप्त अनुमोदनों की प्रतियाँ : क. संबंधित क्षेत्राधिकार या क्षेत्र विनियमनकर्ता(ओं) का अनुमोदन; ख. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 2000 ग. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अनुमोदन घ. अन्य सांविधिक निकायों से प्राप्त अनुमोदन v. आवेदक अथवा उसके किसी प्रवर्तक(कों) या निवेशक(कों) द्वारा प्राधिकरण के पास फाइल किये गये पूर्व के आवेदनों का विवरण, यदि कोई हो। vi. पूर्व के किसी स्तर पर प्राधिकरण को प्रस्तुत किसी भी सूचना में परिवर्तन, यदि कोई हो। vii. विनियमों में विनिर्दिष्ट रूप में शुल्क के भुगतान के समर्थन में प्रमाण viii. आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित की जानेवाली सभी शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए प्रवर्तक/निवेशक की सहमति का पत्र। ix. आवेदक और/या शेयरधारकों के बीच विद्यमान / किये जाने के लिए प्रस्तावित करार की प्रति।	

	x. आवेदक के निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का विवरण, यदि अंतिम रूप दिया गया हो। xi. प्रस्तावित प्रवर्तकों और निवेशकों से संबंधित विवरण, जैसा लागू हो। क. व्यवसायरत सनदी लेखाकार (अथवा विदेशी शेयरधारक के मामले में संस्थापन के अधिकार-क्षेत्र में उसके समकक्ष) के द्वारा विधिवत् प्रमाणीकृत निवल मालियत (नेट वर्थ) प्रमाणपत्र, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आस्तियों का उनकी चलनिधि के आधार पर द्विभाजन शामिल हो। ख. पिछले 5 वित्तीय वर्षों के लिए वित्तीय विवरण ग. आवेदन की तारीख से पहले के 5 वर्ष के लिए फाइल की गई आय कर विवरणियाँ घ. संस्था के बहिर्नियम (एमओए) और अंतर्नियम (एओए) ङ. भागीदारों की शेयरधारिता का स्वरूप / विवरण च. बीमाकर्ता की शोधन-क्षमता और/या व्यावसायिक अपेक्षा पूरी करने के लिए बीमाकर्ता में पूँजी लगाने के लिए वचन-पत्र। छ. पिछले 5 वर्षों के दौरान जुटाई गई पूँजी का विवरण (यदि लागू हो) ज. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की सूची झ. पृष्ठभूमि, वित्तीय शक्ति आदि के बारे में संक्षिप्त नोट ञ. अन्य संस्थाओं में निदेशन, भागीदारी, शेयरधारिता का विवरण। ट. संगत समझी जानेवाली कोई अन्य सूचना। xii. फार्म आईआरडीएआई/आर1 के अनुबंध 1 के अनुसार शेयरधारिता का स्वरूप xiii. यह पुष्टि करते हुए स्वयं-साक्ष्यांकित प्रमाणपत्र कि फार्म आईआरडीएआई/आर1, उसके साथ लगे संलग्नकों सहित, में प्रस्तुत सूचना सही और संपूर्ण है तथा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है और/या दबाई नहीं गई है।	

प्रमाणीकरण

मैं, ____________________ अधोहस्ताक्षरकर्ता, सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेसर्स ....(आवेदक का नाम)............ की ओर से इस आवेदन में दिये गये तथ्य मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही हैं तथा यह कि पूर्वानुमान और आकलन युक्तियुक्त धारणाओं पर आधारित हैं।

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम और पदनाम
(मुहर सहित)

दिनांकः
स्थानः

फार्म आईआरडीएआई/आर1: I) आवेदक और II) प्रवर्तक(कों) की शेयरधारिता का स्वरूप और पूँजी विन्यास

I. आवेदक की शेयरधारिता का स्वरूप

i. वर्तमान शेयरधारिता का स्वरूप

श्रेणी	शेयरधारक का नाम	भारतीय / विदेशी	लाभार्थी स्वामी का नाम	शेयरों की संख्या	अंकित मूल्य	निर्गम की कीमत	प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी (रु.करोड़ में)	शेयरधारिता का प्रतिशत	प्रीमियम, यदि कोई हो (रु. करोड़ में)	कुल निधियाँ (रु. करोड़ में)	कुल निधि में प्रतिशत (रु. करोड़ में)
प्रवर्तक / निवेशक											
	कुल जोड़							100%			100%

ii. आर1 आवेदन के अनुसार प्रस्तावित शेयरधारिता का स्वरूप

श्रेणी	शेयरधारक का नाम	भारतीय / विदेशी	लाभार्थी स्वामी का नाम	शेयरों की संख्या	अंकित मूल्य	निर्गम की कीमत	प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी (रु.करोड़ में)	शेयरधारिता का प्रतिशत	प्रीमियम, यदि कोई हो (रु. करोड़ में)	कुल निधियाँ (रु. करोड़ में)	कुल निधि में प्रतिशत (रु. करोड़ में)
प्रवर्तक / निवेशक											
	कुल जोड़							100%			100%

II. प्रवर्तक की शेयरधारिता का स्वरूप

(एक से अधिक प्रवर्तक होने की स्थिति में प्रत्येक प्रवर्तक के लिए प्रस्तुत करें)

i. वर्तमान शेयरधारिता का स्वरूप

श्रेणी	शेयरधारक का नाम	भारतीय / विदेशी	लाभार्थी स्वामी का नाम	शेयरों की संख्या	अंकित मूल्य	निर्गम की कीमत	प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी (रु.करोड़ में)	शेयरधारिता का प्रतिशत	प्रीमियम, यदि कोई हो (रु. करोड़ में)	कुल निधियाँ (रु. करोड़ में)	कुल निधि में प्रतिशत (रु. करोड़ में)
प्रवर्तक / निवेशक											
	कुल जोड़							100%			100%

ii. आर1 आवेदन के अनुसार प्रस्तावित शेयरधारिता का स्वरूप

श्रेणी	शेयरधारक का नाम	भारतीय / विदेशी	लाभार्थी स्वामी का नाम	शेयरों की संख्या	अंकित मूल्य	निर्गम की कीमत	प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी (रु.करोड़ में)	शेयरधारिता का प्रतिशत	प्रीमियम, यदि कोई हो (रु. करोड़ में)	कुल निधियाँ (रु. करोड़ में)	कुल निधि में प्रतिशत (रु. करोड़ में)
प्रवर्तक / निवेशक											
	कुल जोड़							100%			100%

IV. फार्म आईआरडीएआई/आर2 (पंजीकरण के लिए आवेदन)

[विनियम 5(2)(iv)/(v) और 5(3)(i) देखें]

क्रम सं.	विवरण	उत्तर
क)	**संगठनात्मक और अभिशासन की संरचना**	
1	आवेदक और सूचित किये जा रहे संबंधों की संगठनात्मक संरचना	
2	**प्रबंधन के प्रमुख व्यक्ति (केएमपी)**	
	दायित्वों के आबंटन के साथ संरचना	
	प्रत्येक केएमपी से संबंधित विवरणः i. नामः ii. जन्म की तारीख और स्थानः iii. पताः iv. स्थायी खाता संख्या (पैन): v. पासपोर्ट / पहचान-पत्र का विवरण (संख्या, निर्गम की तारीख और स्थान, समाप्ति की तारीख और निर्गमकर्ता प्राधिकारी) vi. बैंक खाता विवरणः [खाता संख्या, बैंक का नाम और पता तथा बैक खाते की स्थिति (क्या सक्रिय है या निष्क्रिय)] vii. शैक्षिक अर्हताः viii. व्यावसायिक योग्यताः ix. बीमा व्यवसाय में पहले का अनुभव, यदि कोई हो x. बीमा में अनुभव के अलावा अन्य कार्य का पूर्व अनुभव, यदि कोई हो xi. आवासीय स्थिति xii. आवेदक अथवा उसकी समूह संस्थाओं के साथ व्यावसायिक हित अथवा संबंध का विवरण xiii. आवेदक अथवा उसकी समूह संस्थाओं में धारित ईक्विटी पूँजी का विवरण	
	समुचित सावधानी तथा योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) i. किसी सरकारी, विनियामक अथवा व्यावसायिक निकाय द्वारा केएमपी के विरुद्ध निंदा अथवा प्रारंभ की गई अनुशासनिक कार्रवाई का विवरण ii. पिछले नियोक्ता द्वारा पद या नियोजन से बर्खास्तगी, अनुशासनिक कार्यवाही अथवा किसी व्यवसाय अथवा उपजीविका में प्रवेश से अस्वीकृति का विवरण iii. नैतिक चरित्रहीनता से संबद्ध किसी अपराध के लिए केएमपी की दोषसिद्धि का विवरण iv. क्या किसी सरकारी, विनियामक अथवा व्यावसायिक निकाय ने कभी किसी नियोक्ता, कंपनी अथवा संस्था की जाँच की है जिसके साथ	

	प्रबंधन का प्रमुख व्यक्ति एक निदेशक, अधिकारी, प्रबंधक अथवा शेयरधारक के रूप में संबद्ध रहा है? v. क्या कभी किसी कंपनी या संस्था, जिसके साथ प्रबंधन का प्रमुख व्यक्ति एक निदेशक, अधिकारी, प्रबंधक के रूप में संबद्ध रहा था, को परिसमाप्त किया गया है या रिसीवरशिप के अधीन रखा गया है या उसने व्यापार करना समाप्त किया है जब प्रबंधन का प्रमुख व्यक्ति उसके साथ संबद्ध रहा था अथवा प्रबंधन के प्रमुख व्यक्ति के इस तरह संबद्ध रहने के समाप्त होने के बाद एक वर्ष के अंदर ऐसा हुआ है? vi. क्या केएमपी को कभी दिवालिया घोषित किया गया है; vii. धोखाधड़ी या बेईमानी से संबद्ध किसी अपराध के लिए दोषसिद्धियों का विवरण; viii. किसी भी कंपनी में एक निदेशक / प्रबंधन के प्रमुख व्यक्ति के रूप में कार्य करने से कोई निरर्हता; ix. क्या पिछले पाँच वर्षों के दौरान कोई विनियमित वित्तीय व्यवसाय का कार्यकलाप करने के लिए प्रबंधन के प्रमुख व्यक्ति को लाइसेंस या प्राधिकार देने से कभी अस्वीकार किया गया है (अथवा लाइसेंस या प्राधिकार का प्रतिसंहरण किया गया है)।	
	अन्य वचनबद्धताओं का विवरण i. क्या प्रबंधन का प्रमुख व्यक्ति बीमा कारपोरेट एजेंट का प्रधान अधिकारी / विनिर्दिष्ट व्यक्ति / कर्मचारी, बीमा दलाल का कर्मचारी, भारत में या किसी विदेश में किसी अन्य बीमा मध्यवर्ती या बीमाकर्ता या पुनर्बीमाकर्ता का निदेशक या कर्मचारी अथवा भारत में या किसी विदेश में किसी अन्य कंपनी का निदेशक भी है। ii. क्या केएमपी आवेदक के पूर्णकालिक नियोजन में है? यदि नहीं, तो अन्य नियोजन/ वचनबद्धता का पूरा विवरण दें। iii. क्या केएमपी किसी अन्य संस्था से प्रतिनियुक्ति / अन्यत्र अस्थायी विशेष नियुक्ति (सेकंडमेंट) पर है? यदि हाँ, तो, क.मूल संस्था का पूरा विवरण दें ; ख.क्या मूल संस्था द्वारा किसी पारिश्रमिक आदि का भुगतान किया जाता है, यदि हाँ तो पारिश्रमिक का पूरा विवरण। iv. क्या केएमपी आवेदक की किसी समूह कंपनी / सहयोगी कंपनी अथवा प्रवर्तक भागीदार के पूर्णकालिक / अंशकालिक रोजगार में है?	
3	**निदेशक बोर्ड**	
	- दायित्वों के आबंटन के साथ संरचना (प्रवर्तक / निवेशक द्वारा बोर्ड में प्रतिनिधित्व का अलग-अलग विवरण तथा स्वतंत्र निदेशकों का विवरण)	
	प्रत्येक निदेशक से संबंधित विवरणः	

	i. नामः ii. जन्म की तारीख और स्थानः iii. पताः iv. स्थायी खाता संख्या (पैन): v. पासपोर्ट / पहचान पत्र का विवरण (संख्या, निर्गम की तारीख और स्थान, समाप्ति की तारीख और निर्गम प्राधिकारी) vi. बैंक खाते का विवरणः [खाता संख्या, बैंक का नाम और पता तथा बैंक खाते की स्थिति (क्या सक्रिय है या निष्क्रिय)]। vii. शैक्षिक अर्हताः viii. व्यावसायिक अर्हताः ix. बीमा व्यवसाय में पूर्व का कार्यानुभव, यदि कोई हो x. बीमा के अलावा किसी अन्य प्रकार का पिछला कार्यानुभव, यदि कोई हो xi. आवासीय स्थिति xii. आवेदक अथवा उसकी समूह संस्थाओँ के साथ व्यावसायिक हित अथवा संबंध xiii. आवेदक अथवा उसकी समूह संस्थाओं में धारित ईक्विटी पूँजी का विवरण xiv. निदेशक की पहचान संख्या	
	समुचित सावधानी तथा योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) i. किसी सरकारी, विनियामक अथवा व्यावसायिक निकाय द्वारा निदेशक की निंदा अथवा उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का विवरण । ii. पिछले नियोक्ता के द्वारा पद या नियोजन से बर्खास्तगी, अनुशासनिक कार्यवाही अथवा किसी व्यवसाय या उपजीविका में प्रवेश से अस्वीकृति का विवरण iii. नैतिक चरित्रहीनता से संबद्ध किसी अपराध के लिए निदेशक की दोषसिद्धि का विवरण iv. क्या किसी सरकारी, विनियामक अथवा व्यावसायिक निकाय ने कभी किसी नियोक्ता, कंपनी अथवा संस्था की जाँच की है जिसके साथ निदेशक एक निदेशक, अधिकारी, प्रबंधक अथवा शेयरधारक के रूप में संबद्ध रहा है? v. क्या किसी कंपनी या संस्था, जिसके साथ निदेशक एक निदेशक, अधिकारी, प्रबंधक के रूप में संबद्ध रहा था, का कभी परिसमापन किया गया है, उसे रिसीवरशिप के अधीन रखा गया है अथवा उसने व्यापार करना समाप्त किया है जब निदेशक उसके साथ संबद्ध रहा था अथवा उसकी संबद्धता के समाप्त होने के बाद एक वर्ष के अंदर ऐसा हुआ है?	

	vi. क्या निदेशक को कभी दिवालिया घोषित किया गया है vii. धोखाधड़ी या बेईमानी से संबद्ध किसी अपराध के लिए दोषसिद्धियों का विवरण viii. किसी कंपनी में निदेशक / प्रबंधन के प्रमुख व्यक्ति के रूप में कार्य करने से कोई निरर्हता ix. क्या पिछले पाँच वर्ष के दौरान निदेशक को कोई विनियमित वित्तीय व्यवसाय का कार्यकलाप करने के लिए लाइसेंस या प्राधिकार देने से अस्वीकार किया गया है (अथवा लाइसेंस या प्राधिकार का प्रतिसंहरण किया गया है)।	
	अन्य वचनबद्धताओं का विवरण i. क्या निदेशक बीमा कारपोरेट एजेंट का प्रधान अधिकारी/ विनिर्दिष्ट व्यक्ति / कर्मचारी, बीमा दलाल का कर्मचारी, भारत में अथवा किसी विदेश में किसी अन्य बीमा मध्यवर्ती या बीमाकर्ता या पुनर्बीमाकर्ता का निदेशक या कर्मचारी अथवा भारत में या किसी विदेश में किसी अन्य कंपनी का निदेशक भी है। ii. क्या निदेशक आवेदक के पूर्णकालिक नियोजन में है? यदि हाँ, तो उक्त नियोजन / वचनबद्धता का पूरा विवरण दें। iii. क्या निदेशक को किसी अन्य संस्था के द्वारा नामित किया गया है? यदि हाँ, तो, क. उक्त संस्था का पूरा विवरण प्रस्तुत करें। ख. क्या उक्त संस्था के द्वारा किसी पारिश्रमिक आदि का भुगतान किया जाता है, यदि हाँ तो उक्त पारिश्रमिक का पूरा विवरण दें। iv. क्या निदेशक आवेदक की किसी समूह कंपनी / सहयोगी कंपनी के पूर्णकालिक / अंशकालिक नियोजन में है अथवा आवेदक का वह प्रवर्तक भागीदार है?	
ख)	पुष्टीकरण कि शेयर आवेदन राशि आर2 अनुमोदन के निर्गम से पहले प्रस्तुत की जाएगी।	
ग)	विनियम 6(8)(iv) के अंतर्गत हितों के संघर्ष के संदर्भ में कार्य की योजना	
घ)	**प्रस्तुत किये जानेवाले अतिरिक्त विवरण / दस्तावेजः** i. विनियम 5(3)(i) के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट सभी दस्तावेज ii. आर1 अनुमोदन में निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति iii. पहले के किसी स्तर पर (अर्थात् एनओसी स्तर या आर1 स्तर पर) प्राधिकरण को प्रस्तुत किसी भी सूचना में परिवर्तन, यदि कोई हों, उनके ब्योरे के साथ। iv. उक्त विनियम में विनिर्दिष्ट रूप में शुल्क के भुगतान के समर्थन में प्रमाण।	

	v. यह पुष्टि करते हुए स्वयं-साक्ष्यांकित प्रमाणपत्र कि फार्म आईआरडीएआई/आर2 में उसके संलग्नकों के साथ प्रस्तुत की गई सूचना सही और संपूर्ण है, तथा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है और/या दबाई नहीं गई है।	

टिप्पणीः आवेदक कंपनी / प्रवर्तक का शेयरधारक (प्रवर्तक/निवेशक) आवेदक कंपनी में कोई भी पूर्णकालिक पद धारित नहीं करेगा।

प्रमाणीकरण

मैं, ____________________ अधोहस्ताक्षरकर्ता, सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेसर्स ....(आवेदक का नाम)............ की ओर से इस आवेदन में दिये गये तथ्य मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही हैं तथा यह कि पूर्वानुमान और आकलन युक्तियुक्त धारणाओं पर आधारित हैं।

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम और पदनाम
(मुहर सहित)

दिनांकः
स्थानः

V. प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डूप्लिकेट) का निर्गम (विनियम 11 देखें)

प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डुप्लिकेट) के निर्गम के लिए आवेदन बीमाकर्ता के पत्र-शीर्ष (लेटर हेड) पर प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर उसके प्रबंध निदेशक अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाएँगे।

फार्म आईआरडीएआई/आर4 [विनियम 11 देखें]

सेवा में,

अध्यक्ष,
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण,
हैदराबाद

विषयः पंजीकरण के प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डूप्लिकेट प्रमाणपत्र) के निर्गम के लिए आवेदन)

हम आपसे पंजीकरण के प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डूप्लिकेट प्रमाणपत्र) जारी करने का अनुरोध करते हैं जिसके लिए हम निम्नलिखित विवरण इसके नीचे दे रहे हैं :

1. बीमाकर्ता का नामः
2. पंजीकरण संख्याः
3. पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीखः
4. मूल प्रमाणपत्र कैसे खो गया है, नष्ट हो गया है अथवा कटा-फटा है?
5. शुल्क के विप्रेषण का विवरणः

भवदीय,
प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर
(प्रबंध निदेशक का नाम)
(मुहर)

स्थानः
दिनांकः

आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जानेवाले विवरणः आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज/ ब्योरे प्रस्तुत किये जाएँगेः

1. जारी किये गये मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र के स्थान पर प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डूप्लिकेट प्रमाणपत्र) के निर्गम की अपेक्षा करनेवाले बीमाकर्ता के बोर्ड के संकल्प की मूल प्रति।
2. विनियम 11 में यथाविनिर्दिष्ट शुल्क के भुगतान के समर्थन में प्रमाण।

VI. फार्म आईआरडीएआई/टीओएस – शेयरों के अंतरण के लिए अनुमोदन की अपेक्षा करते हुए आवेदन (अनुसूची 2 देखें)

1. उक्त विनियमों के विनियम 6(10) और अनुसूची 2 के साथ पठित अधिनियम की धारा 6ए के अंतर्गत शेयरों के अंतरण के लिए अनुमोदन की अपेक्षा करते हुए आवेदन बीमाकर्ता के पत्र-शीर्ष (लेटर हेड) पर किया जाएगा, जिसपर उसके प्रबंध निदेशक अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाएँगे।
2. शेयरों के अंतरण के लिए अनुमोदन की अपेक्षा करते हुए आवेदन केवल संबंधित बीमाकर्ता के माध्यम से ही फाइल किया जाएगा।
3. सूचीबद्ध बीमाकर्ताओं के संबंध में, विनियमों की अनुसूची 2 के विनियम 4(ख) का अवलोकन करें।

क्रम सं.	विवरण	उत्तर
बीमाकर्ता का विवरण		
1	नाम	
2	पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की तारीख	
अंतरणकर्ता का विवरण (प्रत्येक अंतरणकर्ता के लिए अलग-अलग)		
3	नाम	
4	पता (पंजीकृत कार्यालय और पत्र-व्यवहार के लिए पता)	
5	संपर्क का विवरण (प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, ई-मेल आईडी और फोन नंबर)	
6	कानूनी स्थिति (कंपनी, एलएलपी, व्यक्ति आदि) और सीआईएन संख्या	
7	पंजीकरण संख्या और पंजीयक का पता	
8	संस्थापन की तारीख (व्यक्तियों के मामले में जन्म-तिथि)	
9	स्थायी खाता संख्या	
10	आवेदन की तारीख की स्थिति के अनुसार ईक्विटी शेयरों की कुल संख्या और अंतरणकर्ता द्वारा बीमाकर्ता की ईक्विटी का प्रतिशत	
11	ईक्विटी शेयरों की कुल संख्या और अंतरित किये जाने के लिए प्रस्तावित बीमाकर्ता की ईक्विटी का प्रतिशत	
12	बीमाकर्ता के संबंध में अंतरणकर्ता की स्थिति (अर्थात् क्या प्रवर्तक है या निवेशक)	
प्रस्तावित अंतरिती का विवरण (प्रत्येक अंतरिती के लिए अलग-अलग)		
13	**आधारभूत विवरण:** i. नाम (पिछले नामों सहित, यदि कोई हों) ii. पता (पंजीकृत पता और पत्र-व्यवहार के लिए पता) iii. संपर्क का विवरण (प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, ई-मेल आईडी और फोन संख्या) iv. कानूनी स्थिति (कंपनी, एलएलपी, व्यक्ति आदि) और सीआईएन संख्या	

	v. संख्या और संस्थापन की तारीख vi. आवासीय पता (अनिवासी संस्था के मामले में, निवास और संस्थापन का देश विनिर्दिष्ट करें) vii. स्थायी खाता संख्या (पैन) viii. क्या भारत में अथवा भारत के बाहर किन्हीं वित्तीय क्षेत्र विनियमनकर्ताओं के पास पंजीकृत है। यदि हाँ, तो उसका विवरण प्रस्तुत करें। ix. स्वामित्व और नियंत्रण की स्थिति (डीपीआईआईटी दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत सरकार और फेमा के अनुसार, जैसा लागू हो) x. अंतरिती की प्रस्तावित स्थिति (अर्थात् निवेशक या प्रवर्तक) xi. 'भारतीय प्रवर्तक' के मामले में, विनियम 2(ज) के अंतर्गत लागू उप-विनियम बताएँ	
14	**पूँजी का अंतःप्रवाह और प्रतिबद्धताएँ:** निम्नलिखित प्रस्तुत करें **क) पूँजी का अंतःप्रवाह** i. अधिगृहीत किये जाने के लिए प्रस्तावित ईक्विटी हित का % ii. बीमाकर्ता में अंतर्विष्ट (इन्फ्यूज़) किये जाने के लिए प्रस्तावित राशि iii. बीमाकर्ता में पूँजी लगाने के लिए निधियों का स्रोत iv. बीमाकर्ता की भावी पूँजीगत अपेक्षा पूरी करने के लिए स्रोत और सक्षमता **ख) पूँजी और अन्य प्रतिबद्धताएँ** i. बीमाकर्ता के प्रति पूँजी और अन्य प्रतिबद्धताओं का विवरण ii. वित्तीय देयताओं और अन्य वित्तीय प्रतिबद्धताओं का विवरण iii. शेयरधारकों के प्रति बीमाकर्ता के दायित्वों और प्रतिबद्धताओं का विवरण [क्रय विकल्प (काल आप्शन), विक्रय विकल्प (पुट आप्शन), वापसी-खरीद, अधिकार निर्गम, अधिमानी निर्गम, अभिशासन संबंधी प्रतिबद्धताएँ, प्रतिलाभ की आश्वासित दर आदि]	
15	**आस्तियाँ और निवेशः** **क) निवेशों का विवरण** i. अन्य बीमाकर्ता(ओं) में निवेश अथवा भारत में अन्य बीमाकर्ताओं में निवेश ii. भारत में किसी बीमा मध्यवर्ती (मध्यवर्तियों) में निवेश iii. भारत के बाहर बीमा और बीमा मध्यवर्तियों में निवेश iv. भारत में अन्य निवेश v. भारत के बाहर निवेश vi. धारित अन्य आस्तियाँ **ख) तरल आस्तियों और तरल निवेशों का विवरण**	
16	**व्यवसाय का रिकार्ड और अनुभवः** i. वर्तमान उपजीविका	

	ii. कारोबार / व्यवसाय में वर्षों की कुल संख्या iii. बीमा मध्यवर्तियों सहित, भारत में बीमा व्यवसाय में व्यवसाय का रिकार्ड और अनुभव iv. बीमा मध्यवर्तियों सहित, भारत के बाहर बीमा व्यवसाय में व्यवसाय का रिकार्ड और अनुभव v. भारत में अथवा भारत के बाहर अन्य व्यवसाय में व्यवसाय का रिकार्ड और अनुभव।	
17	**समुचित सावधानीः** i. भारत में अथवा भारत के बाहर किन्हीं विनियामक / सांविधिक / न्यायिक निकायों के द्वारा अंतरिती या उसकी किसी प्रवर्तक / समूह संस्थाओं अथवा उनके किसी निदेशक अथवा केएमपी के विरुद्ध दोषसिद्धि सहित, विनियामक हस्तक्षेपों, प्रतिबंधात्मक निदेशों और/या कार्यवाही का पिछला रिकार्ड। लंबित कार्यवाही, यदि कोई हो, का भी विवरण प्रस्तुत करें। ii.क्या अंतरिती को कभी दिवालिये के रूप में न्यायनिर्णीत किया गया है। यदि हाँ, तो उसका विवरण प्रस्तुत करें। iii. क्या अंतरिती अथवा उसके किसी निदेशक अथवा केएमपी को भेदिया व्यापार, कपटपूर्ण अथवा अनुचित व्यापार पद्धतियों या बाजार संबंधी हेर-फेर के लिए कभी अभियुक्त बनाया गया है या दंडित किया गया है। iv. प्रस्तावित अंतरिती या उसके किसी निदेशक या प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों के विरुद्ध की गई / लंबित सिविल/ आपराधिक / विनियामक कार्रवाई का विवरण। v.क्या अंतरिती अथवा उसके निदेशकों को कभी कोई विनियमित वित्तीय व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस अथवा प्राधिकार देने से अस्वीकृत किया गया है (अथवा लाइसेंस अथवा प्राधिकार का प्रतिसंहरण किया गया है)। यदि हाँ, तो उसका विवरण दें। vi. अंतरिती अथवा उसके निदेशकों अथवा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के विरुद्ध किसी सरकारी, विनियामक अथवा व्यावसायिक निकाय के द्वारा की गई निंदा अथवा प्रारंभ की गई अनुशासनिक कार्रवाई का विवरण। vii. क्या किसी सरकारी, विनियामक अथवा व्यावसायिक निकाय ने ऐसी किसी कंपनी, फर्म या संगठन की कभी जाँच की है जिसके साथ अंतरिती के निदेशक और प्रमुख व्यक्ति निदेशक, अधिकारी, प्रबंधक या शेयरधारक के रूप में संबद्ध रहे हैं। (यदि हाँ, तो उसका विवरण प्रस्तुत करें)। viii. क्या पिछले पाँच वित्तीय वर्षों के दौरान अंतरिती के संबंध में अपनी रिपोर्ट में लेखा-परीक्षकों के द्वारा बहियों, खातों और वित्तीय विवरणों पर कोई प्रतिबंध (क्वालिफिकेशन), शर्त (रिज़र्वेशन) या प्रतिकूल टिप्पणी की गई है।	
18	अंतरिती और बीमाकर्ता के बीच सामान्य (कामन) निदेशक	

19	बीमाकर्ता में बोर्ड का प्रतिनिधित्व	
20	अन्य बीमाकर्ताओं और/या बीमा मध्यवर्तियों में बोर्ड का प्रतिनिधित्व	
21	**आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जानेवाले विवरण और दस्तावेजः** i. बीमाकर्ता में निवेश को प्राधिकृत करने के लिए अंतरिती के बोर्ड द्वारा पारित संकल्प की प्रति। ii. अंतरिती को शेयरों के निर्गम को प्राधिकृत करने के लिए बीमाकर्ता के बोर्ड द्वारा पारित संकल्प की प्रति, यदि लागू हो। iii. व्यापारी बैंकर का प्रमाणपत्र (विनियम की अनुसूची 2 के खंड 1(ग) देखें)। iv. बीमाकर्ता, प्रवर्तक और निवेशक द्वारा प्राप्त अनुमोदनों की प्रति, जैसा लागू होः क. संबंधित क्षेत्राधिकार अथवा क्षेत्र विनियमनकर्ता(ओं) का अनुमोदन; ख. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 2000 के अधीन अनुमोदन ग. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अनुमोदन घ. सांविधिक निकाय़ों से अनुमोदन v. शुल्क के भुगतान के समर्थन में प्रमाण (विनियम की अनुसूची 2 का खंड 1(घ) देखें) vi. आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित की जानेवाली सभी शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए अंतरिती का सहमति-पत्र। vii. बीमाकर्ता के साथ और/या शेयरधारकों के बीच किये गये अथवा किये जाने के लिए प्रस्तावित करार की प्रति। viii. पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की तारीख को बीमाकर्ता की शेयरधारिता का स्वरूप ix. प्रस्तावित अंतरिती से संबंधित विवरण क. व्यवसायरत सनदी लेखाकार (अथवा विदेशी शेयरधारक के मामले में संस्थापन के अधिकार-क्षेत्र के उसके समकक्ष) के द्वारा विधिवत् प्रमाणित निवल मालियत (नेट वर्थ) प्रमाणपत्र, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आस्तियों का द्विभाजन उनकी चलनिधि के आधार पर शामिल हो। ख. पिछले 5 वित्तीय वर्षों के लिए वित्तीय विवरण ग. आवेदन की तारीख से पूर्व के 5 वर्षों के लिए फाइल की गई आय-कर विवरणी। घ. संस्था के बहिर्नियम (एमओए) और अंतर्नियम (एओए) ङ. भागीदारों की शेयरधारिता का स्वरूप / विवरण च. बीमाकर्ता द्वारा अपनी शोधन-क्षमता और/या व्यवसाय की आवश्यकता पूरी करने के लिए बीमाकर्ता में पूँजी लगाने के लिए वचन-पत्र, यदि प्रस्तावित अंतरिती प्रवर्तक की क्षमता में निवेश कर रहा हो। छ. पिछले 5 वर्षों के दौरान जुटाई गई पूँजी का विवरण (यदि लागू हो)	

	ज. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की सूची झ. पृष्ठभूमि, वित्तीय सुदृढ़ता आदि के बारे में संक्षिप्त नोट। ञ. अन्य संस्थाओं में निदेशन, भागीदारी, शेयरधारिता का विवरण। ट. कोई अन्य सूचना, जो संगत समझी गई हो। x. प्रस्तावित अंतरिती के द्वारा योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) की घोषणा xi. यह पुष्टि करते हुए स्वयं-साक्ष्यांकित प्रमाणपत्र कि फार्म आईआरडीएआई/टीओएस, उसके साथ लगे हुए संलग्नकों सहित, में प्रस्तुत की गई सूचना सही और संपूर्ण है, तथा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है और दबाई नहीं गई है। xii. अंतरिती के संबंध में सरोकार, यदि कोई हों, और/या संशोधित शेयरधारिता के स्वरूप को निर्दिष्ट करते हुए बीमा कंपनी (असूचीबद्ध कंपनियों के मामले में) से पुष्टीकरण।	

22. निम्नलिखित फार्मेट में अंतरण का विवरणः

(करोड़ रुपये)

अंतरणकर्ता						अंतरिती					
नाम	ईक्विटी शेयरों की संख्या	ईक्विटी धारिता का %	लाभार्थी स्वामी	ईक्विटी पूँजी	प्रतिभूति प्रीमियम	नाम	ईक्विटी शेयरों की संख्या	ईक्विटी धारिता का %	लाभार्थी स्वामी	ईक्विटी पूँजी	प्रतिभूति प्रीमियम

23. प्रस्तावित अंतरण से पहले और बाद में बीमाकर्ता की शेयरधारिता का स्वरूपः

प्रस्तावित अंतरण से पहले वर्तमान शेयरधारिता का स्वरूप						प्रस्तावित अंतरण के बाद				
नाम	स्थिति (प्रवर्तक/ निवेशक)	शेयरों की संख्या	ईक्विटी शेयरधारिता का %	लाभार्थी स्वामी	अवरुद्धता अवधि समाप्ति की तारीख	नाम	स्थिति (प्रवर्तक/ निवेशक)	शेयरों की संख्या	ईक्विटी शेयरधारिता का %	लाभार्थी स्वामी

बीमाकर्ता द्वारा प्रमाणीकरण

मैं, _________________ अधोहस्ताक्षरकर्ता, सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि इस आवेदन में और आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों में दिये गये तथ्य मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार वास्तविक और सही हैं।

दिनांकः
स्थानः

(हस्ताक्षर)
प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम
(कंपनी की मुहर)

VII. ईक्विटी शेयरधारिता के स्वरूप का विवरण [अनुसूची 2 का खंड 7(क) देखें]

प्रत्येक बीमाकर्ता इसके नीचे भाग क, भाग ख और भाग ग में विनिर्दिष्ट फार्मेट के अनुसार ईक्विटी शेयरधारिता के स्वरूप तथा शेयरधारिता में परिवर्तन प्रस्तुत करेगा।

भाग कः बीमाकर्ताओं की ईक्विटी धारिताओं का विवरण

___________ को समाप्त तिमाही में (बीमाकर्ता का नाम) ______________________ की शेयरधारिता के स्वरूप का विवरण

क्रम सं.	श्रेणी	निवेशकों की संख्या	धारित शेयरों की संख्या	शेयर-धारिताओं का %	प्रदत्त ईक्विटी (लाख रु.)	गिरवी रखे गये या अन्यथा भारग्रस्त शेयर		अवरुद्धता अवधि के अंतर्गत शेयर	
(I)	(II)		(III)	(IV)	(V)	शेयरों की संख्या (VI)	धारित कुल शेयरों के प्रतिशत के रूप में (VII) = (VI) / (III)* 100	शेयरों की संख्या (VIII)	धारित कुल शेयरों के प्रतिशत के रूप में (IX) = (VIII)/(III)* 100

क क.1 i) ii) iii) iv) v) vi) क.2 i) ii) iii)	प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह भारतीय प्रवर्तक व्यक्ति / एचयूएफ (बड़े शेयरधारकों के नाम): निगमित निकायः (i) (ii) (iii) वित्तीय संस्थाएँ/ बैंक केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार(रें)/ भारत के राष्ट्रपति सहमति से कार्यरत व्यक्ति (विनिर्दिष्ट करें) कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें) विदेशी प्रवर्तक व्यक्ति (बड़े शेयरधारकों के नाम): निगमित निकायः (i) (ii) (iii) कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)								
ख ख.1	गैर-प्रवर्तक सार्वजनिक शेयरधारक								
1.1) i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) 1.2) 1.3) i)	संस्थाएँ म्युचुअल फंड विदेशी संविभाग निवेशक वित्तीय संस्थाएँ/बैंक बीमा कंपनियाँ विदेशी प्रवर्तक संबंधी विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय प्रवर्तक के विदेशी प्रवर्तक संबंधी विदेशी संस्थागत निवेशक भविष्य निधि/ पेंशन निधि वैकल्पिक निवेश निधि कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)								

ii) iii) iv) v) **ख.2** 2.1) 2.2) 2.3)	**केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार(रें)/भारत के राष्ट्रपति** **गैर-संस्थाएँ** वैयक्तिक शेयर पूँजी रु. 2 लाख तक वैयक्तिक शेयर पूँजी रु. 2 लाख से अधिक भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत एनबीएफसी अन्यः - न्यास - अनिवासी भारतीय (एनआरआई) - समाशोधन सदस्य - अनिवासी भारतीय अप्रत्यावर्तनीय - निगमित निकाय - आईईपीएफ कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें) **गैर-सार्वजनिक शेयरधारक** अभिरक्षक/डीआर धारक कर्मचारी हित न्यास कोई अन्य (विनिर्दष्ट करें) **कुल**								

पादटिप्पणियाँ (फुटनोट):

(i) प्रदत्त ईक्विटी के 1% से अधिक सभी धारिताएँ अलग से प्रकट करनी होंगी।

(ii) भारतीय प्रवर्तक – आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2022 के विनियम 2(1)(ज) के अंतर्गत यथापरिभाषित।

(iii) जहाँ कंपनी सूचीबद्ध है, वहाँ स्तंभ "गिरवी रखे गये या अन्यथा भारग्रस्त शेयर" "गैर प्रवर्तक" श्रेणी के लिए लागू नहीं होगा।

भाग खः ऊपर भाग क में (क) पर निर्दिष्ट रूप में प्रवर्तक में शेयरधारिता के स्वरूप का विवरण

प्रवर्तक का नामः ____

(एक से अधिक प्रवर्तक होने की स्थिति में सारणीकरण को दोहराएँ)

क्रम सं.	श्रेणी	निवेशकों की संख्या	धारित शेयरों की संख्या	शेयर-धारिताओं का %	प्रदत्त ईक्विटी (लाख रु.)	गिरवी रखे गये या अन्यथा भारग्रस्त शेयर		अवरुद्धता अवधि के अंतर्गत शेयर	
(I)	(II)		(III)	(IV)	(V)	शेयरों की	धारित कुल शेयरों के	शेयरों की संख्या	धारित कुल शेयरों के

						संख्या (VI)	प्रतिशत के रूप में (VII) = (VI) / (III)* 100	(VIII)	प्रतिशत के रूप में (IX) = (VIII)/(III)* 100
क	प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह								
क.1	भारतीय प्रवर्तक								
i)	व्यक्ति / एचयूएफ (बड़े शेयरधारकों के नाम):								
ii)	निगमित निकायः (i) (ii) (iii)								
iii)	वित्तीय संस्थाएँ/ बैंक								
iv)	केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार(रें)/ भारत के राष्ट्रपति								
v)	सहमति से कार्यरत व्यक्ति (विनिर्दिष्ट करें)								
vi)	कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)								
क.2	विदेशी प्रवर्तक								
i)	व्यक्ति (बड़े शेयरधारकों के नाम):								
ii)	निगमित निकाय$: (i) (ii) (iii)								
iii)	कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)								
ख	गैर-प्रवर्तक								
ख.1	सार्वजनिक शेयरधारक								
1.1)	संस्थाएँ								
i)	म्युचुअल फंड								
ii)	विदेशी संविभाग निवेशक								
iii)	वित्तीय संस्थाएँ/बैंक								
iv)	बीमा कंपनियाँ								
v)	विदेशी प्रवर्तक संबंधी विदेशी संस्थागत निवेशक#								
vi)	भारतीय प्रवर्तक के विदेशी प्रवर्तक संबंधी विदेशी संस्थागत निवेशक#								
vii)	भविष्य निधि/ पेंशन निधि								
viii)	वैकल्पिक निवेश निधि								
ix)	कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)								
1.2)	केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार(रें)/भारत के राष्ट्रपति								
1.3)	गैर-संस्थाएँ								

i) ii) iii) iv) v) ख.2 2.1) 2.2) 2.3)	वैयक्तिक शेयर पूँजी रु. 2 लाख तक वैयक्तिक शेयर पूँजी रु. 2 लाख से अधिक भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत एनबीएफसी अन्यः - न्यास - अनिवासी भारतीय (एनआरआई) - समाशोधन सदस्य - अनिवासी भारतीय अप्रत्यावर्तनीय - निगमित निकाय - आईईपीएफ कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें) **गैर-सार्वजनिक शेयरधारक** अभिरक्षक/डीआर धारक कर्मचारी हित न्यास कोई अन्य (विनिर्दष्ट करें) **कुल**								

पादटिप्पणियाँ (फुटनोट):

1. ऊपर भाग ख के क.1 और क.2 पर व्यक्तियों और निगमित निकायों के नाम अवश्य विशिष्ट रूप से और अलग से उल्लिखित किये जाने चाहिए।
2. बीमाकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे उन श्रेणियों पर विशेष बल दें जो आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2022 के विनियम 7(ii) के दायरे में आती हैं।
3. जहाँ बीमा कंपनी असूचीबद्ध है, वहाँ निवेशकों का विवरण (ईएसओपी के अंतर्गत धारित करनेवाले कर्मचारियों को छोड़कर) प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
4. जहाँ बीमा कंपनी सूचीबद्ध है, वहाँ भारतीय निवेशकों का विवरण, जो अकेले और संयुक्त रूप से 1% से अधिक धारित करते हैं, प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
5. `सहमति से कार्यरत व्यक्ति' का अर्थ वही होगा जैसा कि समय-समय पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 के अंतर्गत उसके लिए निर्धारित किया गया है।

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) के नाम विनिर्दिष्ट करें, उन विदेशी संस्थागत निवेशकों को निर्दिष्ट करते हुए जो भारतीय बीमा कंपनी के संयुक्त उद्यम भागीदार / विदेशी निवेशक के समूह से संबंधित हैं।

$ निगमित निकायों के नाम विनिर्दिष्ट करें, उन निगमित निकायों को निर्दिष्ट करते हुए जो भारतीय बीमा कंपनी के संयुक्त उद्यम भागीदार / विदेशी निवेशक के समूह से संबंधित हैं।

भाग गः प्रमाणीकरण

1. प्रमाणित किया जाता है कि आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2022 के विनियम 7(ii) में की गई व्यवस्था के अनुसार भारतीय प्रवर्तक / भारतीय निवेशक में, भारतीय बीमा कंपनी के विदेशी निवेशकों और विदेशी प्रवर्तकों (तथा विदेशी निवेशकों और

विदेशी प्रवर्तकों की सहायक संस्थाओँ) की ईक्विटी धारिता के ब्योरे, विवरण के भाग ख में निर्दिष्ट किये गये हैं।

2. तिमाही............................ की समाप्ति पर आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2022 के विनियम 7 के अनुसार कुल विदेशी निवेश (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहित) .... प्रतिशत निकलता है।
3. यह घोषित किया जाता है कि हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार, इस प्रमाणपत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार बीमाकर्ता की प्रदत्त पूँजी के 1%* से अधिक धारित करनेवाले शेयरधारक योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) है(हैं)।
4. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना सही और संपूर्ण है, तथा वास्तविक स्थिति को प्रतिबिंबित करती है।

(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम	मुख्य अनुपालन अधिकारी का नाम

दिनांकः
स्थानः

****ऐसे** बीमाकर्ता के मामले में जिसके ईक्विटी शेयर शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं, 1% को 5% के रूप में पढ़ा जाएगा।*

VIII. अस्थायी व्यवस्थाएँ और स्पष्टीकरण

भाग 1: अस्थायी व्यवस्थाएँ

क्रम सं.	विवरण	अस्थायी व्यवस्था
क) बीमाकर्ता के पंजीकरण से संबंधित		
1	पंजीकरण विनियम, 2022 की अधिसूचना से पहले जारी किये गये अनापत्ति प्रमाणपत्रों (एनओसी) की विधिमान्यता **[विनियम 5(1)(iii) देखें]**	पंजीकरण विनियम, 2022 की अधिसूचना से पहले जारी किया गया एनओसी उपर्युक्त एनओसी की शर्तों के अनुसार विधिमान्य होगा।
2	पंजीकरण विनियम, 2022 की अधिसूचना से पहले जारी किये गये आर1 फार्मों की विधिमान्यता **[विनियम 5(2)(i) देखें]**	पंजीकरण विनियमों की अधिसूचना से पहले जारी किये गये आर1 फार्म इस मास्टर परिपत्र के निर्गम की तारीख से 3 महीने की अवधि के लिए विधिमान्य होंगे। आवेदक 3 अतिरिक्त महीनों तक विधिमान्यता आगे और बढ़ाने के लिए अनुरोध, ऐसे अनुरोध के लिए कारण देते हुए कर सकता है।
3	पंजीकरण आवेदन के लिए प्रसंस्करण शुल्क **[विनियम 5(2)(ii)(ज) और विनियम 5(3)(i)(i) देखें]**	पंजीकरण विनियम, 2022 की अधिसूचना की तारीख से पहले फाइल किये गये और/या प्रसंस्करण किये गये आर1 फार्म रु. 5 लाख के प्रसंस्करण शुल्क + विनिर्दिष्ट कर के अधीन नहीं होंगे। तथापि, रु. 5 लाख का प्रसंस्करण शुल्क + कर, फार्म आईआरडीएआई/आर2 के साथ देय होंगे।
ख) शेयरों के अंतरण और अवरुद्धता अवधि से संबंधित		
4	शेयरों के अंतरण के लिए अनुमोदन की अपेक्षा करते हुए आवेदन हेतु प्रसंस्करण शुल्क **[अनुसूची 2 का विनियम 1(घ) देखें]**	पंजीकरण विनियम, 2022 की अधिसूचना की तारीख से पहले फाइल किये गये और/या प्रसंस्करण किये गये शेयरों के अंतरण के लिए अनुमोदन की अपेक्षा करते हुए प्रस्तुत आवेदन रु. 1 लाख के प्रसंस्करण शुल्क + कर के अधीन नहीं होगा। तथापि, उपर्युक्त तारीख के बाद फाइल किये गये सभी आवेदनों के संबंध में अपेक्षित है कि उनके साथ उक्त प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान किया जाए।
5	पंजीकरण विनियम, 2022 की अधिसूचना से पहले प्रदान किये गये अनुमोदनों के मामले में अवरुद्धता अवधि **[विनियम 6(1) देखें]**	1. **उन शेयरधारक(कों) के मामले में जो बीमाकर्ता का/के प्रवर्तक है/हैं :** अवरुद्धता अवधि विनियम 6(1) में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, निवेश की तारीख को यथाविद्यमान बीमाकर्ता की आयु के अनुसार होगी। 2. **उस शेयरधारक के मामले में जो बीमाकर्ता का/के निवेशक है/हैं :** विनियम 6(1) के अनुसार अवरुद्धता अवधि पंजीकरण विनियम 2022 की अधिसूचना की

		तारीख अर्थात् 05.12.2022 तक अधिगृहीत शेयरों के लिए लागू नहीं होगी। उपर्युक्त विनियमों की अधिसूचना के बाद अधिगृहीत कोई भी शेयर इस परिपत्र के अनुसार दिये गये स्पष्टीकरणों के साथ पठित उपर्युक्त विनियमों के अनुसार अवरुद्धता अवधि के अधीन होंगे।

ग) निदेशन से संबंधित [विनियम 6(7)(iii) का परंतुक देखें]

बीमाकर्ता में धारित ईक्विटी का %	**पंजीकरण विनियम, 2022 की तुलना में शेयरधारक की स्थिति**		**क्या नामिती निदेशक बीमाकर्ता के बोर्ड में जारी है**
	पहले	**बाद में**	
10% तक	प्रवर्तक	प्रवर्तक	हाँ
	प्रवर्तक	निवेशक*	नहीं#
	निवेशक	निवेशक	नहीं#
10% से अधिक परंतु 25% से कम	प्रवर्तक	प्रवर्तक / निवेशक*	हाँ
25% अथवा उससे अधिक	प्रवर्तक	प्रवर्तक	हाँ

*प्रवर्तक से निवेशक के रूप में पुनर्वर्गीकरण केवल आईआरडीएआई का पूर्व अनुमोदन लेने के बाद ही किया जाएगा।
#वर्तमान बोर्ड पद इस परिपत्र की तारीख से 6 महीने की अवधि के अंदर खाली किया जाएगा।

भाग 2: स्पष्टीकरण

बीमाकर्ताओं की कठिनाइयाँ दूर करने तथा महत्व रखनेवाले पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, इसके द्वारा निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किये जाते हैं।

क्रम सं.	**विवरण**	**स्पष्टीकरण**
1	सूचीबद्ध बीमाकर्ताओं के मामले में शेयरधारिता पर अवरुद्धता	पंजीकरण विनियमों के विनियम 6(1) के परंतुक में व्यवस्था है कि भारत में शेयर बाजार(रों) में अपने शेयर सूचीबद्ध करने हेतु बीमाकर्ता को समर्थ बनाने के लिए प्राधिकरण अवरुद्धता अवधि को शिथिल कर सकता है। इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त विनियमों में विनिर्दिष्ट अवरुद्धता उन बीमाकर्ताओं पर लागू नहीं होगी जिनके ईक्विटी शेयर भारत में शेयर बाजार(रों) में सूचीबद्ध किये गये हैं। तथापि, बीमाकर्ता न्यूनतम प्रवर्तक(कों) की धारिता के संबंध में विनियम 6(6) का अनुपालन करेगा।

***